छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 05.06.18

क्रमांक एफ 10–10/2018/16 :– राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक एवं घरेलू महिला कामगारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक एवं घरेलू महिला कामगारों हेतु गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम **"ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक एवं घरेलू महिला कामगार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना"** होगा।

(ii) पंजीकृत ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक एवं घरेलू महिला कामगार जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर इलाज हेतु रूपये 50,000/– की चिकित्सा सहायता प्रदान की जायेगी।

(iii) योजना का प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा।

(iv) योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी में किडनी, कैंसर, सिकलसेल, एनिमिया, ह्रदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग सम्मिलित होगें।

(ब) योजना की पात्रता :–

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक है।

(ii) 18 से 60 वर्ष की उम्र के ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक एवं घरेलू महिला कामगार इस योजना के लिए पात्र होगे।

(iii) ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक एवं घरेलू महिला कमागरों का हिताधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए।

(iv) योजना का लाभ एक बार प्राप्त होगा।

(v) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

(i) हितग्राही को किसी भी च्वाईस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जाकर वेबसाईट में दिये निर्देशानुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

(ii) आवेदन पत्र के साथ संबंधित बीमारी के संबंध में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र में संबंधित बीमारी के चिकित्सा खर्च की अनुमानित व्यय का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

...2...

(द) **स्वीकृति का अधिकार** :— योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा।

(इ) **विसंगति का निराकरण** :—
योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(दिव्या उमेश मिश्रा)
उप सचिव,
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन एफ 10— 10/2018/16 **नया रायपुर, दिनांक** 05.06.18

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सचिव, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
4. अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
5. कलेक्टर जिला— .... (छ0ग0)।
6. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)।
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय .... (छ0ग0)।
8. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)।
9. नोडल अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
10. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. गार्ड फाईल।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग